ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिकाः एक विश्लेषण

*संजय चौधरी

शोध सारांश

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तभी विकसित माना जा सकता है जब उस देश के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक विकास का लाभ पहुंचे और उनके अपने जीवन स्तर में सुधार आया हो। हम गांवों का विकास के सभी लाभों को पहुंचाकर और गांव के लोगों के अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाकर ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न साकार किया जा सकता है। भारत ग्राम प्रधान देश है तथा गांवों के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आंकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए है। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के गरीब परिवारों का आर्थिक स्तर सुधारने और बेहतर जीवन–यापन के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं संचालित करती है। इस योजना में से एक है मनरेगा योजना। मनरेगा को विश्व बैंक ने 2015 में दुनिया के सबसे बड़े लोकनिर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2015 में जारी वैश्विक मानव विकास प्रतिवेदन में विश्व में किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा उपायों में हुई उपलब्धियों में नरेगा का उल्लेख करते कहुए कहा है कि इसकी तुलना बांग्लादेश में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए ग्रामीण रोजगार तथा अर्जेन्टीना में जेफेश डी होगर और नेपाल में द लिमिटेड कर्नाली इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसी योजनाओं से की जा सकती है।

मुख्य शब्द

लोक कल्याणकारी राज्य, समग्र विकास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), लोक निर्माण, यूएनडीपी, द लिमिटेड कर्नाली इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम।

परिचयात्मक

महात्मा गांधी का कथन है "भारत की आत्मा गांवों में बसती है।" महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज को स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु के रूप में देखा। गांधीजी का यह विचार ही ग्रामीण विकास की संकल्पना का आधार है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सामाजिक बदलाव और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया से है। ग्रामीण विकास की अवधारणा देश के समग्र विकास के लक्ष्य की पूर्ति करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि

सुधारों को लागू करना तथा आसान ऋण उपलब्ध करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से भारत के गांवों का सामाजिक, आर्थिक एवं ढांचागत विकास करना है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक प्रमुख योजना है। ग्रामीण भारत को "श्रम की गरिमा" से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाली योजना है। प्रस्तुत शोध पत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की ग्रामीण विकास में भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण विकास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की भूमिका को स्पष्ट करना है। मनरेगा किस प्रकार ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को सशक्त बना रहा है। मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। मनरेगा किस प्रकार विकास के साथ–साथ आर्थिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा रोजगार के अवसर पैदा करके शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कहाँ तक सफल हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने में मनरेगा की क्या भूमिका हो सकती है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह शोध पत्र सैद्धांतिक विवरण और विश्लेषणात्मक अन्वेषण पर आधारित है। इस हेतु प्राथमिक और द्वितीयक समंकों और तथ्यों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन को प्रासंगिक और विश्वस्त बनाने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न प्रतिवेदनों के साथ पूर्व में किए गए अध्ययनों को आधार माना गया है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा

भारत गांवों का देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640867 गांव है तथा देश की कुल आबादी का 68.8 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। भारत के विकास के लिए गांवों का विकास होना आवश्यक है। समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाना आवश्यक है। भारत में ग्रामीण विकास की चेतना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास से आशय है – ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं वंचित असहाय लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाकर स्वावलंबी गणतन्त्र बनाना है। विकास का तात्पर्य जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन से है जो अपने में आर्थिक और सामाजिक दोनों पक्षों को समाहित करता है। ग्रामीण विकास की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के सभी पक्षों को समेटे हुए हैं। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। संकुचित अर्थ में ग्रामीण विकास का आशय है – विविध कार्यक्रमों–कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण संरचना में बदलाव आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। व्यापक अर्थ में ग्रामीण विकास का आशय है – ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिवर्तन करना। इस प्रकार ग्रामीण विकास अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। पर मूल रूप से इसे सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक सुनिश्चित कार्यविधि माना जा सकता है। विश्व बैंक के ग्रामीण विकास क्षेत्र की नीति के अनुसार "ग्रामीण विकास एक व्यूह रचना है जो कि एक विशेष समूह गरीब व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बनायी जाती है। यह व्यूह रचना ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम व्यक्तियों तक विकास के लाभों को पहुंचने के लिए तैयार की जाती है। इस समूह में किसान और खेतिहर मजदूर

आते हैं।"

सार रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को स्वयं–धारी बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार करना, ग्रामीण संस्थाओं का निर्माण और प्रोत्साहन कर ग्रामीण विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर बढ़ाना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

हमारे देश में सूखा, विपदा में पलायन और कुपोषण ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की आम समस्या थी। मनरेगा के पहले ग्रामीण आजीविका रोजगार सुरक्षा अधिनियम, रोजगार गारंटी योजना और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन समस्याओं को दूर करने के लिए लागू किए गए किन्तु अपने डिजायन और लागू होने की प्रक्रिया के कारण ये योजनाएँ कार्यक्रम की तरह ही रही और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 7 सितंबर, 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) पारित किया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) कर दिया गया। इस योजना के कार्य की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर करता है। यह एकमात्र ऐसी योजना है जो काम के अधिकार की गारंटी देती है। मनरेगा योजना श्रम तलाशने वालों को यह आदेश देता है कि वे अधिकार के तौर पर अपने लिए काम की मांग करें। भारत सरकार के अनुसार यह योजना काम की गारंटी देने वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना को सरकार ने सामाजिक कार्यों में सुधार के रूप में प्रस्तुत किया है। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है जिसके कारण इस योजना के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहता सुनिश्चित होती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपतियों का निर्माण करना जिससे आजीविका में वृद्धि हो।
- गांव के जल, जंगल और पर्यावरण की रक्षा करना।
- महिलाओं का सशक्तिकरण एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।
- गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर रोक लगाना।
- पंचायती राज प्रतिष्ठानों को सशक्त कर तृणमूल लोकतन्त्र को मजबूत करना।
- सामाजिक समरसता एवं समानता सुनिश्चित करना।

ग्रामीण विकास एवं मनरेगा

विगत दो तीन दशकों में भारतीय नीतिकारों का ध्यान ग्रामीण विकास की ओर आकृष्ट हुआ है। इसका प्रमुख कारण गांव के लोगों में ग्रामीण विकास के मुद्दों के प्रति बढ़ती जागरूकता है जो इस बात का संकेत है कि ग्रामीण

विकास के बिना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। इसके लिए ग्रामीण ढांचे के सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने की आवश्यकता है। भारत में ग्रामीण विकास की शुरूआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ से मानी जा सकती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास में जनसहभागिता को सुनिश्चित करना था। ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका को निम्नांकित आधारों पर समझा जा सकता है।

गरीबी उन्मूलन

नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गरीब व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों में गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को सशक्त करना

मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास आजीविका का स्रोत हो।

रोजगार के अवसर सृजित करना

मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में मांग करने पर 100 दिवस के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। मनरेगा के अंतर्गत प्रतिवर्ष औसतन लगभग 5 करोड़ परिवार कार्य करते है।

पलायन और बंधुआ मजदूरी में कमी

मनरेगा कार्य में भागीदारी से पलायन में कमी आई है। इस योजना में ग्रामीण श्रमिकों को ऐसे समय में जीवनरेखा के रूप में आय का वैकल्पिक स्रोत प्राप्त हुआ है, जिस समय उन्हें तो पलायन करने या कठोर एवं अनुचित कार्य दशाओं में कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

महिला और सामाजिक सशक्तिकरण

मनरेगा के माध्यम से आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने से महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर खर्चा करने के तौर तरीकों के निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

सामाजिक समावेशन

मनरेगा ऐसे स्व–योजना कार्यक्रम के रूप में सफल रहा है, जिसमें अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ जैसे उपेक्षित समूह भाग ले रहे हैं।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर भारत के ग्रामीण क्षेत्र के हाशिए पर जीवनयापन करने वाले लोगों और समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। इस योजना ने करोड़ो लोगों को बुनियादी आय सुरक्षा प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत काम के बदले मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया ने वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। मनरेगा एक स्व लक्षित कार्यक्रम के तौर पर स्थापित होता जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति सहित उपेक्षित समूहों की बहुत बड़ी भागीदारी है। इससे समाज के वंचित वर्गों के मध्य समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है। मनरेगा ने महिला सशक्तिकरण को

भी बढ़ावा दिया है जिसके कारण महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। मनरेगा के तहत किए गए कामों में जल संरक्षण, भू–जल पुनर्भरण, सूखा निवारण और बाढ़ सुरक्षा जैसे कार्यों को प्रमुखता से करने के कारण प्राकृतिक संसाधनों के पुनः उत्थान में सहायता मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किए जाने के कारण ये संपत्तियाँ भविष्य में पंचायतों के लिए आय का संसाधन बन सकेगी।

***शोधार्थी**
भूगोल विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय (राज.)

संदर्भ

- शर्मा, महेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2010
- मीणा, डॉ. जनक सिंह, ग्रामीण विकास के विविध आयाम, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2010
- देवपुरा प्रतापमल, ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायतें, राधाकृष्णन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2006
- सिंह, कतार, सिसोदिया अनिल, ग्रामीण विकास : सिद्धांत, नीतियाँ और प्रबंध, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2016
- वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली